स्मृति-पत्र

1- संस्था का नाम — श्री अकबर सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी ।

2-- संस्था का पता— 87, एम.आई.जी. न्यू शाहगंज कालोनी, आगरा ।

3— संस्था का कार्यक्षेत्र— समस्त उत्तर प्रदेश ।

4— संस्था के उददेश्य—

1— शिक्षा विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज, पी0जी0 कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, मैनेजमेन्ट, डेन्टल कालेजों की स्थापना करना तथा निशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक, [illegible] संस्थानों ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक—युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।

2— उच्च शिक्षा विकास हेतु विभिन्न विश्व विद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे नवीनतम पाठ्क्रमों के आधार पर सबद्धता प्राप्त कर प्रशिक्षण संस्थानों, कालेजों की स्थापना करना व उनका प्रबन्ध संचालन करना ।

3— मजदूरों/कारीगरों को तकनीकि शिक्षा प्रदान करना व उन्हें स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरू करना तथा उनके बच्चों लिये निशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, छात्रावास, क्रीडाकेन्द्रों, व्यायामशाला आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना तथा निर्धन अनाथ अपंग बच्चों, मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दिलाना । खेलों को बढावा देना तथा समय—समय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा उत्कृष्ट/विजेता खिलाडियों को पुरस्कृत करना।

4— नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन,पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपिटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्यनिषेध कार्यकमों को व्यापक स्तर पर चलाना ।

5— समय—समय पर सॉस्कृतिक कार्यकमों एवं जागरूकता शिविरों निशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, विचार गोष्ठियों राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों. कलाप्रदर्शनी प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा बाल श्रम उन्मूलनकार्यकम गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेध कार्यकम चलाना ।

देश विदेश एवं प्रदेश की समानउद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यकम चलाना ।

7— केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली कच्चें पक्के नालों का निर्माण एवं मार्ग को जोड़ने के लिये पुलों का निर्माण कराना

8— योग, प्राकृतिक तथा भारतीय पुरातन व नवीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न संकामक वअसाध्य रोंगों से नागरिको को मुक्त कराने का प्रयास करना तथा शारीरिक शिक्षा केन्द्रों, योग साधना केन्द्रों व निशुल्क चिकित्सालय/ औषधालय की स्थापना करना ।

9— पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह—2 वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना ।

10— सामाजिक वानिकी कार्यकमो को चलाना व खाली पडी ऊसर बंजर भूमि पर सघन वृक्षीकरण का कार्य कर वनीकरण को बढावा देना व अवैध लकडी कटाई को रोकने मे सरकार का सहयोग करना ।

11— अल्पसंख्यकों, पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये विद्यालयों प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालन करना, महिला विकास कार्यकम, एवं प्रौढ शिक्षा कार्यकमों की व्यवस्था करना ।

सत्य प्रतिलिपि

Principal
Sky Institute of Pharmacy
Ladamda, Bichpuri, Agra

नियमावली

1–संस्था का नाम — **श्री अकबर सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी ।**

2–संस्था का पता– *87, एम.आई.जी. न्यू शाहगंज कालोनी, आगरा ।*

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– समस्त उत्तर प्रदेश ।

4–संस्था के उद्देश्य – स्मृति–पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेगें ।

5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

आस्था एवं विश्वास रखते होगें एवं जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे । जो निम्न वर्ग के होगें –

संस्थापक–इस संस्था की स्थापना श्री संजीव कुमार यादव पुत्रश्री ओंकार सिंह निवासी–87, एम.आई.जी., न्यू शाहगंज आगरा ने अपने दादा स्व. श्री अकबर सिंह की स्मुति में व उनके नाम से स्थापित की जा रही है, यह उनके अथक प्रयास व आर्थिक सहयोग से हो रही है अतः श्री संजीव कुमार यादव इस संस्था के संस्थापक आजीवन रहेंगे इन्हें अपने जीवनकाल में अपना एक संस्थापक नामित करने का अधिकार सुरक्षित होगा संस्था के समस्त कार्य संस्थापक की अंतिम स्वीकृति से मान्य होंगे संस्थापक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

संरक्षक सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 50,000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें ।

आजीवन सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 100,000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें ।

सामान्य सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को 5000/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें ।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा ।

6–सदस्यता की समाप्ति–1–सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2–आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर संस्थापक ऐसे किसी भी सदस्य की सदस्यता बिना कारण बताये समाप्त करना ।

3–किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।

4–सदस्यता शुल्क समय से न दिये जाने पर ।

5–संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।

6–किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।

7–सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7–संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा ।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा– <u>(अ) गठन</u>– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।

Kuldeep

Principal
Sky Institute of Pharmacy
Ladamda, Bichpuri, Agra

(ब) **बैठकें**— साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) **सूचना–अवधि**–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द) **गणपूर्ति**–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन का तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ)गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से 7 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक, एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकतानुसार घटाई व बढाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 होगी।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

2–नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, बैकों नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

5–संस्था विकासार्थ संस्था की अचल चल सम्पत्तियों को बैंक आदि के पक्ष में बन्धक रखते हुये ऋण प्राप्त करना ।

6–संस्था के विकास हेतु जगह–जगह प्रदेश, मण्डल व जिला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी शाखाओं के लिये उपसमितियों गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना क्षेत्रीय स्तर पर उपईकाईयों/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना ।

Kuldeep

Principal
Sky Institute of Pharmacy
Ladamda, Bichpuri, Agra

7–प्रबन्धसमिति के समस्त अधिकार सचिव/प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेंगे । सचिव/प्रबन्धक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी पदाधिकारी व सदस्य द्वारा कोई भी किया गया कार्य असंवैधानिक माना जायेगा ।

<u>(ल)कार्यकाल</u>– प्रबन्धकारिणी समिति ~~में प्रबन्धक/सचिव को छोड़कर शेष पदाधिकारियों व सदस्यों~~ का कार्यकाल पॉच वर्ष होगा कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर निर्वाचन की तिथि प्रबन्धक/सचिव द्वारा निश्चित करते हुये कार्यकारिणी समिति को भंगकर समस्त अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हुये निर्वाचन के समय प्रबन्धक/सचिव महोदय निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगें । निर्वाचन सर्वसम्मति से या गुप्त मतदान में से किसी भी प्रणाली द्वारा सम्पन्न कराया जा सकता है प्रबन्धक/सचिव ~~मृत्यु पर्यन्त~~ आजीवन संस्थापक बने रहेगे ।

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

<u>अध्यक्ष</u> – 1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।
2–मीटिंग बुलाना व स्थिगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
3–संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वांरा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

<u>सचिव/प्रबन्धक</u>–1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
2–संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।
3–कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना ।
4–संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।
5–संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यताशुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।
6–संस्था के अर्न्तगत संचालित संस्थानों, धमार्थ संस्थानों व शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।
7–संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राप्टों बन्धक विलेखों बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।
8–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
9–कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर भंग कर कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने पास रखते हुये एक माह के अन्दर नवीन कार्यकारिणी समिमि का गठन करना ।
10–संस्था विरोधी कार्य एवं अनुशासनहीनता करने पर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना चाहे यह कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा का सदस्य हो, किन्तु इसका अनुमोदन कार्यकारिणी समिति के 1/3 बहुमत से करना आवश्यक होगा ।
11–संस्था द्वारा संचालित विद्यालय/कालेज का खाता प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रचार्य के साथ संयुक्त रूप से संचालित करना ।
12–सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त नये सदस्य बनाने का एक मात्र अधिकार सचिव/प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा तथा चुनाव कराये जाने के समय साधारण सभा सदस्यों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर साधारण सभा सदस्यों की सूची जारी करना । जो सर्वमान्य व अन्तिम होगी ।

सत्य प्रतिलिपि

Kuldeep

10/6/19

Principal
Sky Institute of Pharmacy
Ladamda, Bichpuri, Agra

13–आकस्मिक व्यय हेतु 10000/–रू0 तक अपने पास रखना व व्यय करना ।
14–समस्त प्रकार के लिए गये निर्णय व किये गये कार्यों पर किसी पदाधिकारी व सदस्य को किसी न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार नहीं है संस्था के समस्त आपसी विवाद निर्धारित नियमावली की शर्तों अनुसार बैठक में ही तय किये जायेंगे ।
15–संस्था के आजीवन व संरक्षक सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता व संस्था विरोधी कार्य करने पर उसे तीन वर्ष से लेकर 6 वर्ष/आजीवन तक की अवधि के लिये सभा से निलम्बित करना ।

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0 की संगत धारा के अर्न्तगत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12–संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था– संस्था का कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जावेगा । जिसका संचालन संस्था के सचिव/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से होगा ।

13–संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)–संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व– संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15–संस्था के अभिलेखः– 1–सदस्यता रजिस्टर
2– कार्यवाही रजिस्टर ।
3–कैशबुक रसीद बुक,एजेण्डा रजिस्टर
4–निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

16–संस्था द्वारा लिये गये ऋण एवं उसकी जमानत के सम्बन्ध में–
संस्था द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी करने का सामूहिक व व्यक्तिगत तौर पर प्रबन्धसमिति के सभी सदस्यों पर होगा यह दायित्व सदस्यों पर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋणदाता के पूर्ण ऋण की अदायगी न हो जाय चाहे भले ही सदस्य संस्था से प्रथक ही क्यों न हो गया हो ।

ऋण के पक्ष में जमानत हेतु संस्था के निजी अचल सम्पत्ति का साम्यक बन्धक/बन्धक होगा यदि संस्था के पास अपनी निजी अचल सम्पत्ति नहीं है तो संस्था का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी अपनी निजी अचल सम्पत्ति का बन्धक/साम्यक बन्धक कर सकेंगे ।

17–संस्था का विघटन–संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–13 व 14 के अर्न्तगत की जावेगी ।

दिनॉक–10–5–2009

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

Kuldeep

Principal
Sky Institute of Pharmacy
Ladamda, Bichpuri, Agra

5-- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है–

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्रीमती कमला यादव पत्नीश्री ओंकार सिंह	ग्राम व पो0 झपारा तह0जसराना जिला–फिरोजाबाद	अध्यक्ष	गृहकार्य
2–श्री संजीव कुमार यादव पुत्रश्री ओंकार सिंह	87, एम.आई.जी. न्यू शाहगंज, आगरा	सचिव/प्रन्धक	शिक्षाविद्
3–श्रीमती प्रकाश यादव पत्नी स्व0श्री रनवीर सिंह यादव	87, एम.आई.जी. न्यू शाहगंज, आगरा	सदस्य	गृहकार्य
4–श्री कुलदीप यादव पुत्रश्री ओ0एस0 यादव	ग्राम व पो0 झपारा तह0जसराना जिला–फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार
5–श्री सिद्धान्त यादव पुत्रश्री ओ0एस0 यादव	ग्राम व पो0 झपारा तह0जसराना जिला–फिरोजाबाद	सदस्य	अध्ययनरत
6–श्री राहुल शर्मा पुत्रश्री मिथलेश कुमार शर्मा	17/200, गायत्रीनगर दौसा राजस्थान	सदस्य	शिक्षाविद्
7–श्री धनवीर सिंह पुत्रश्री एस0पी0 सिंह	ग्राम व पो0 झपारा तह0जसराना जिला–फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार

6–हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते है कि उक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि0–21 सन्1860 के अर्न्तगत एक समिति का पंजीयन करना चाहते है ।

दिनॉक–10–05–2009

कमला 7/5/09 Kuldeep प्रकाश 12/5/09 Sanjeev

R. Sharma. Siddhant Dhanvir

सत्य प्रतिलिपि

10/6/...

Principal
Sky Institute of Pharmacy
Ladamda, Bichpuri, Agra

संस्था का नाम– श्री अकबर सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी
87 एम0आई0जी0 न्यू शाहगंज,आगरा

71

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष–2018–2019

क्र.सं.नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्रीमती कमला यादव	श्री ओकार सिंह	ग्राम–पोस्ट झपारा तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद	अध्यक्ष	गृहकार्य
2–श्री संजीव कुमार यादव	श्री ओंकार सिह	87 एम0आई0जी0न्यू शाहगंज आगरा	सचिव / प्रबन्धक	व्यापार
3–श्रीमती प्रकाश यादव	स्व0श्री रनवीर सिंह	87 एम0आई0जी0न्यू शाहगंज आगरा	सदस्य	गृहकार्य
4–श्री कुलदीप यादव	श्री ओ0एस0यादव	ग्राम–पोस्ट झपारा तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार
5–श्री सिद्धान्त यादव	श्री ओ0एस0यादव	ग्राम–पोस्ट झपारा तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार
6–श्री राहुल शर्मा	श्री मिथलेश कुमार	17/200 गायत्री नगर दौसा राजस्थान	सदस्य	व्यापार
7–श्री ह्रदेश कुमार	स्व0श्री राजबहादुर सिह	न0 टाकन पोस्ट ताखा जिला फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार

सोसाइटी ... पंजीकृत एवं प्रमाणित ... पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
23-2-19

6-2019-111

Siddhant Kuldeep
27/11/2149

Sayan

Principal
Sky Institute of Pharmacy
Ladamda, Bichpuri, Agra